

#1106

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - भिखाई.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 835 दायर दिनांक 05/10/2025 निर्णय दिनांक 9/10/25

रिपोर्ट



क्र.न.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	<u>भिखाई</u>	<u>93</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p>	<p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुश्रवा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसूच राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>भिखाई</u> प.ह. <u>भिखाई</u> खालास <u>93</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

हस्ताक्षर पटवारी
Abhaya Patawari
पटवार मण्डल भिखाई
तह. कपासन (चितौड़गाढ)

गिरदावर

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौड़गाढ

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन